10/02/2020

प्रार्थी की ओर से प्रकरण विड्रॉ करने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं पत्रावली से तथ्य लाया गया कि प्रकरण में प्रार्थिया ने निवेदन किया कि प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहती है मैं प्रार्थिया की विड्रो करना चाहती है। प्रार्थिया की पहचान वकील जी ने कराई। अतः प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रकरण विड्रो करने का स्वीकार किया जाता है। तथा प्रकरण में इसी स्तर पर कार्यवाही रोक की जाती है। पत्रावली बाद तामील तथा पीछे मूल रोक नम्बर से की पीछे मूल

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला-चित्तौड़गढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.03.10 17:16:21 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by TapScanner